

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, तिजारा (अलवर) राज०

प्रारूप-14

[नियम-16(1) देखिए]

भूमि के आवेदन/नियमितकरण के लिए आवेदन

फोटो



प्रेषिती.

अधिशार्थी अधिकारी
नगरपालिका तिजारा

{स्थानीय प्राधिकारी का नाम }

1.	(क) आवेदक और उसके माता पिता का नाम और डाक का पता		
	(ख) यदि आवेदन अन्य की ओर से फाइल किया गया है तो मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति		
	(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, संगम झपन/संगम-अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी है)		
	(घ) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है)		
	(ङ) राजस्थान टाउनशिप पोलिसी अधिनियम, 2010 (यदि लागू हों) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र		
2.	आवेदित क्षेत्र का ब्यौरा: (1) ग्राम और तहसील का नाम (2) खसरा सं. और क्षेत्र या भूमि के अन्य ब्यौरे		
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति और आवेदित भूमि के ब्यौरे:		
	(क) प्रारूप-15 में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथपत्र		
	(ख) प्रारूप-16 में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यक रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र		
	(ग) हफ/पट्टे का सधूत		
	(घ) विक्रय बिलेख/विक्रय करार/वसीयत/मुख्तारनामे की प्रति		
	(ङ) अभिन्यास योजना		
	(च) यदि भूखण्ड की सीमा में कोई एचडी/एलटी		

	लिए उपयोग 17 जून, 1999 से पूर्व किया गया है		
	(ज) आवेदक की पहचान का सबूत		
4.	नियम 16 के अधीन निक्षेप प्रीमियम की रकम और चालान सं. और तारीख		
5.	(क) लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)		
	(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश या व्यादेश के बारे में		
6.	दस्तावेजों की कुल संख्या		
7.	पृष्ठों की कुल संख्या		
8.	आवेदन की तारीख		

आवेदन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ द्वारा (गैर-कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के नियमितीकरण के लिए द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

आवेदक का पता

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

• जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रमाणित

आवेदक ने दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया जो रजिस्टर में क्र.स. पर दिनांक को रजिस्ट्रीकृत किया गया। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियामत और निपटारा जायेगा। नोट की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, के संबंध में जानकारी 7 दिन के भीतर या तो दूरभाष से दी जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर